


(4)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)



जय प्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड द्वारा श्री क्षीरसी० श्रीवारत्न मैनेजर
(लीगल) जे०पी० सीधी सीमेन्ट बघवार प्लान्ट मझांगंवा जिला सीधी
(म0प्र0) —————निगराकार

बनाम

1— भुवनेश्वर सिंह तनय रंग प्रताप सिंह निवासी बिहारगंज, थाना व तहसील
रामनगर, जिला सतना (म0प्र0)

————गैरनिगराकार/आवेदक क0-1

2— शासन म0प्र0
————गैरनिगराकार/आवेदक क0-2

*निवासी श्री भुवनेश्वर
सिंह तनय रंग*
/17-02-2012
निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय
तहसीलदार तहसील रामनगर, जिला सतना
के राजस्व प्रकरण क0-08 / ए५ / ०९-१०
में जो दिनांक 19/11/11 को पारित
किया गया है

अंतर्गत धारा 50 एवं धारा 32 म0प्र0
भूरारोसी० 1959 ई०

मान्यका,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी
प्रस्तुत कर विनयी है कि :-

- 1— यह कि माननीय अदालत मातहत का आदेश खिलाफ कानून एवं
वाक्यात के है ।
- 2— यह कि प्रकरण में निगराकार अनावेदक के रूप में एक आवश्यक
पक्षकार था क्योंकि आराजी खसरा नम्बर-75 का जो मूल रकवा रेब्यू
रिकार्ड में दर्ज था उसे पटेटदार गैरनिगराकार/आवेदक क0-1 ने

— 2 —

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 477/तीन/12

(स्थितिः)

जयप्रकाश एसोसिएटस बनाम शुक्रनेश्वर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

प्रकाशो एवं अधिकारियों
आदि के हस्ताक्षर

05-07-18

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं अनावेदक के अधिवक्ता श्रीआर0एस0सैंगर उपस्थित एवं शासन के अधिवक्ता श्री एस0एस0धाकड़ उपस्थित हुए अनावेदक के अधिवक्तागण व्यारा व्यक्त किया गया कि अनावेदक क्र0 1 की मत्यु 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा उसके वारिसान का आवेदन भी आवेदक व्यारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण को समाप्त किया जावे

तर्कों पर मनन किया अनावेदक की मत्यु हो जाने पर आवेदक व्यारा नियत समयावधि में वारिसाना आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये था किंतु उनके व्यारा उक्त आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को छलाने में कोई रुचि नहीं है

अत आवेदक की भरुचि होने तथा वारिसाना आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में यह निगरानी उपशमित की जाकर इसी स्तर पर समाप्त की जाती है